उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-2082/दो-9-2017-26(7)/90
लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त, 2017

कार्यालय -ज्ञाप

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 व उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश-1982 के अधीन नियुक्ति विभाग में व्यवहृत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्णय के स्तर के निर्धारण विषयक नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-अ0आ0सं0-115/दो-6-1998, दिनांक 04.04.1998, के आंशिक संशोधन में शासकीय कार्यो में गतिशीलता लाने एवं कार्य प्रकिया का सरलीकरण हेतु नियुक्ति विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरणों के निस्तारण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिधानित करते हैं:-

क्रम संख्या	विषय	निर्णय का नवीन स्तर (अधिकार प्रतिनिधायन)
1	2	3
83	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी के आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देख भाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश के प्रकरण।	मुख्य सचिव
84	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारियों एवं उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश तथा पितृत्व अवकाश के प्रकरण।	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग
85	भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों के पासपोर्ट निर्गत करने हेतु अनापत्ति तथा पासपोर्ट के नवीनीकरण विषयक अनापत्ति प्रदान करने से सम्बन्धित प्रकरण।	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग
86	भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के अधिकारियों के असाधारण अवकाश एवं विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रकरण।	मुख्य सचिव

2- उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 अप्रैल, 1998 एवं अधिकार प्रतिनिधायन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1227/दो-6-2009-26(7)/90,दिनांक-30-03-2009, तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1402/दो-6-2012-26(7)/90, दिनांक-11.05.2012 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत पूर्ववर्ती आदेशों की अन्य व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

3- उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

U.O. dept.

(14)

संख्या–2082/(1)/दो–9–2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव, सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
4– समस्त अधिकारीगण, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
5– समस्त अनुभाग, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
6– श्री नूरूल होदा, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, यू0पी0डेस्को को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की अपेक्षा से।
7– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।